शिक्षक शिक्षा की वास्तविक स्थिति, समस्याएं तथा समाधान के सुझाव

डॉ. डिगर सिंह फर्स्वाण
विभागाध्यक्ष (बी.एड), देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लालपुर, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर
उत्तराखण्ड–263148

Received: February 08, 2019 Accepted: March 28, 2019

ABSTRACT: : *इस लेख में शिक्षक शिक्षा का विकास, उसकी वास्तविक स्थिति तथा समस्याओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। शिक्षक शिक्षा का स्थान किसी भी अन्य प्रकार की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक शिक्षा के द्वारा तैयार शिक्षक समाज तथा देश के भविष्य के निर्माता होते है तथा वे समाज तथा देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। देश में गुणवत्तापरक शिक्षा, बच्चों में विभिन्न कौशलों का विकास, शिक्षा के प्रति रूचि का विकास, शिक्षा में नवाचार, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में उपयोग तथा देश तथा समाज के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षक शिक्षा का स्वरूप मजबूत तथा अद्यतन होना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा की दशा व दिशा दयनीय स्थिति में है। किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब तक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक एवं मानवीय संशाधनों का समुचित विकास, अद्यतन तकनीकी के उपयोग का विकास नही होगा तथा शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित सभी लोग पूर्ण ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से सार्थक प्रयास नही करेंगे तब तक शिक्षक शिक्षा की स्थिति का वास्तविक विकास तथा कुशल व पेशेवर शिक्षकों का निर्माण एक कल्पना ही रह जायेगा तथा देश के मजबूत भविष्य की कल्पना करना भी व्यर्थ ही होगा। लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त तथा अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें जाति, धर्म, गरीबी–अमीरी, लिंग, सम्प्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता है। अतः शिक्षक शिक्षा के द्वारा दक्ष, कुशल व पेशेवर शिक्षकों के निर्माण के लिए ठोस व कारगर रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है।*

Key Words:

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक काल में ही शिक्षक प्रशिक्षण का विकास प्रारम्भ हो चुका था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक बनने के लिए पूर्ण भिक्षु होना आवश्यक होता था। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसों में कक्षा नाटकीय प्रणाली तो प्रचलित थी परन्तु इसका उद्देश्य शिक्षक तैयार करना ही नहीं था शिक्षकों का कार्यभार कम करना था। हमारे देश में आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण (शिक्षक शिक्षा) की शुरुआत यूरोपीय जातियों ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। उनके सामने शिक्षक शिक्षा का एक ही उद्देश्य था– शिक्षकों को शिक्षण कौशलों में दक्ष करना। भारतीय शिक्षा आयोग (1882) की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के रुप में परिवर्तन होना शुरु हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में पहल शुरु की गई। 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की स्थापना की गई और इसे स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरुप के निर्धारण की जिम्मेदारी सौपी गई। इसने सर्वप्रथम 1975 में शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित एक दस्तावेज Secondary Teacher Education Curriculum प्रकाशित किया और उसमें माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद 1978 में दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया–Teacher education Curriculum: A Framework इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए और साथ ही उनके पाठ्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की। 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1996 में इसने शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी नया दस्तावेज तैयार किया जिसे (NCERT) ने 1998 में Curriculum Framework for Quality Teacher Education के नाम से प्रकाशित किया। (लाल एवं शर्मा, 2009, पृ. 530)

कोठारी कमीशन (1964–66) ने तत्कालीन शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया था–''शिक्षक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम अधिकांशतः परम्परागत एवं रुढ़ है और विद्यालयों की वास्तविक परिस्थितियों और वर्तमान एवं प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन कार्यक्रमों से असम्बद्ध है।''(लाल एवं शर्मा, 2009, पृ. 549) तभी से शिक्षक शिक्षा में सुधार के विशेष प्रयत्न तो शुरु किए गए परन्तु आज तक भी इसमें वांछित सुधार नहीं हो पाया है। शिक्षक शिक्षा में सुधार, प्रसार तथा गुणात्मक सुधार की पहल विभिन्न सरकारों तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरन्तर किए जाते रहे है परन्तु आज भी सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे हैं।

शिक्षक शिक्षा की वास्तविक स्थिति एवं समस्याए

शिक्षक शिक्षा के समुचित विकास तथा गुणवत्ता के विकास हेतु निरन्तर प्रयास तो किए गये परन्तु वांछित सफलता आज तक भी प्राप्त नही हो सकी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में क्षमता तथा दक्षता अभिवर्धन कार्यक्रमों पर बल दिया गया था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सिद्धान्त और व्यवहार के समन्वित रूप में आयोजित करने पर जोर दिया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2009 के कार्यान्वयन के पश्चात भी शिक्षक शिक्षा की दयनीय स्थिति में सुधार नही हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा की वास्तविक तथा वर्तमान स्थिति का ऑकलन करने के लिए जस्टिस जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। शिक्षक शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपने रिपोर्ट में कहा कि शिक्षक शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख पाठ्यक्रमों में पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, जो न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों और विषय को ज्ञान से जोड़ते है और न ही कक्षा–कक्ष की वास्तविक स्थिति से। वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) रेग्यूलेशन–2014 लाया गया। इस रेग्यूलेशन के माध्यम से शिक्षक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। इस रेग्यूलेशन के द्वारा इन्टर्नशिप की अवधि 20 सप्ताह (6 माह) किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पेशेवर शिक्षक तैयार करना है।

किसी भी प्रकार की शिक्षा में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि समाज व देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं पर रहती है। जब तक शिक्षक शिक्षा को आधुनिक, व्यावहारिक तथा वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर संगठित नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षक शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती है। शिक्षक शिक्षा के द्वारा ऐसे शिक्षको का निर्माण किया जाना चाहिए जो देश की नई पीढ़ी को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकें। किसी भी स्तर की शिक्षक शिक्षा के स्तर में अनेक तत्व शामिल होते है जिसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, उसकी संस्थाएं, संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक, संस्थाओं में शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी और इन शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का उत्पादन अर्थात इससे निकलने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों के चिन्तन एवं व्यवहार में होने वाला ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक परिवर्तन। इसमें सबसे मुख्य तत्व है–उत्पाद। यही शिक्षक शिक्षा के स्तर की असली कसौटी है और आज स्थिति यह है कि किसी भी स्तर की शिक्षक शिक्षा का उत्पादन अच्छा नहीं है। पहले शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षा स्नातक) पाठ्यक्रम एक वर्ष का था फिर 2015 से यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का किया अब यह कार्यक्रम चार वर्षीय इंटीग्रेटेड अनिवार्य करना प्रस्तावित है। बार–बार पाठ्यक्रम परिवर्तित करना तो ठीक है परन्तु इससे भी अधिक उपयुक्त यह होता कि अगर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक तथा मानवीय संशाधनो की आपूर्ति सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के प्रति गम्भीरता से विचार किया गया होता तो आज शिक्षक शिक्षा की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आज स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में वे लोग प्रवेश ले रहे है जो यह मान रहे कि कुछ नही तो यहीं सही। इसलिए इस क्षेत्र में वास्तविक, उपयुक्त तथा पेशेवर शिक्षक तैयार नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण के प्रति अन्तर्दृष्टि एवं दूरदृष्टि विकसित नहीं हो पा रही है और नहीं उनमें विभिन्न क्रियाओं में प्रशिक्षित करने का कौशल विकसित हो पा रहा है। एक अच्छे शिक्षक में ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी तो देशव्यापी रोग है यदि इन शिक्षक शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले शिक्षकों में भी यह समस्या है तो इसके लिए केवल ये ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि इसके लिए पूरा समाज, देश का शिक्षातंत्र, नियंत्रक तंत्र तथा संचालनकर्ता पूर्ण रुप से जिम्मेदार है। शिक्षक शिक्षा के संचालन, निरीक्षण तथा सुधार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सौपी गई है, परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु समय–समय पर पहल करने की कोशिश तो की गयी परन्तु ये कोशिश आज तक सफलता में तब्दील नही हो पाये। ये प्रयास क्यो सफल नही हो पा रहे है यह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा इससे सम्बन्धित सभी लोगों के लिए एक चिन्तनीय विषय है।

हमारे देश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति दयनीय है। जब तक यह पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालयों तथा सरकारी डिग्री कालेजों में संचालित होता था तब इनकी स्थिति थोड़ी संतोषजनक थी लेकिन जब से शिक्षक शिक्षा का निजीकरण हुआ तथा इस शिक्षा का संचालन निजी क्षेत्र के लोग करने लगे तब से शिक्षक शिक्षा के ये केन्द्र केवल शोषण के केन्द्र बन कर रह गये। इन निजी संस्थानों में न तो भौतिक संशाधन उपलब्ध है तथा न ही मानव संशाधन उपलब्ध है। इन केन्द्रों को संचालित करने वाले कोई शिक्षाविद् नहीं होते परन्तु व्यवसायी, तथा ऊँची पहुँच वाले लोग होते है। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सारी वास्तविक स्थिति की जानकारी रहती है लेकिन वे चाहकार भी कुछ नहीं कर पाते है या कुछ करना नहीं चाहते है।

पहले शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम एक वर्ष का था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा में विनिमय, 2014 लागू कर दिया जो सत्र 2015 से प्रभावी हो गया। 2015 से यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का हो गया। दो वर्ष होने से पूर्व कई लोग बी0एड0 करने के लिए आतुर दिखे। वे चाह रहे थे कि एक वर्ष का बी0एड0 कर लिया जाए। कुछ नहीं हो तो बी0एड0 ही सही। यह बी0एड0 करने की चाहत भी निरूद्देश्य ही थी। ऐसी स्थिति में एक योग्य तथा पेशेवर शिक्षक का निर्माण करना संभव नहीं है। इसे देश तथा समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। द्विवर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम से बी0एड0 करने वाले बच्चों में रुझान कम होने लगा। इसमें भी इन्टर्नशिप कार्यक्रम को 20 सप्ताह (6 माह) समय का रखा गया है जो कि क्रियान्वयन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं लगता है। हॉलाकि 20 सप्ताह के इन्टर्नशिप का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण दक्षता तथा शिक्षण कौशलों का विकास कर कुशल तथा पेशेवर शिक्षकों का निर्माण करना है। इन्टर्नशिप के क्रियान्वयन की व्यवस्था कैसे होगी इसका कोई प्रावधान नही किया गया है क्योंकि छः माह तक कोई भी विद्यालय प्रशिक्षणार्थियों के हवाले नहीं कर सकता है। अब जब चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है तो बच्चों में अनिश्चितता का माहौल है। जो पहले से ही स्नातक या परास्नातक है वे इस वर्ष बी. एड. में प्रवेश नहीं ले पाये है तो वे इस बात को लेकर परेशान है कि वे बी.एड करना चाहे तो क्या होगा। बी.एड. पाठ्यक्रम को कितने ही वर्ष का क्यों न कर लिया जाय इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि जब तक इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थाओं के सिस्टम को ठीक नहीं किया जायेगा तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु उपाय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ भी परिवर्तन होना संभव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा बिना

जॉचे परखे देश में इतने शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता दे दी गई है जो मानकों में भी खरा नहीं उतरते है। इस बात पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों पर भी प्रश्नचिन्ह लगना लाजमी है। क्यों और किस आधार पर इतने संस्थानों को मान्यता दे दी गई। कई संस्थानों के पास तो अपना भवन भी नहीं है वे किराये के दो कमरों में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे है। इन शिक्षक शिक्षा संस्थानों में कभी भी कोई भी निरीक्षण के लिए नहीं आता। संम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, उच्च शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कोई भी व्यक्ति तथा अधिकारी इन संस्थानों का निरीक्षण करने की जरुरत नहीं समझता है। इसी कारण ये संस्थान मनमानी पर उतर आते है। जब कभी आवश्यकीय निरीक्षण करना भी हो तो इस बारे में संस्थानो को पहले सूचित कर दिया जाता है जिससे वे अपनी तैयारी कर सकें। आखिर कब तक शिक्षक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा चलती रहेगी तथा कब तक देश तथा समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। इसमें केवल शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की ही गलती नहीं है वरन् उनको खुली छूट देने वाले अधिक गुनहगार है। केवल चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने से गुणवत्ता अपने आप नहीं आ जायेगी इसके इसके लिए शिक्षक शिक्षा की सर्वोत्तम संस्था, विभिन्न सरकारों, विभागों, विश्वविद्यालयों तथा संचालित करने वाले संस्थाओं को पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से सकारात्मक प्रयास करने होंगे तभी इस क्षेत्र में गुणवत्ता लाया जा सकता है तथा एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की मूल समस्याओं तथा आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा। केवल कागजी शेर बनने से काम नहीं चलने वाला है। कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष संतोष ए0 मैथ्यू ने इस दिशा में पहल करने की कोशिश की थी। उनको इस क्षेत्र की समस्याओं तथा इस क्षेत्र में हो रही अनियमितताओं की भी जानकारी थी। उन्होनें प्रत्येक संस्थान से 1.5 लाख रुपये शुल्क भी जमा कराये थे। यह शुल्क प्रत्येक संस्थान के निरीक्षण के लिए लिया गया था। जिसका निरीक्षण QCI (Quality Control of India) के द्वारा किया जाना था। इस सम्बन्ध में दिनॉक 18 जुलाय 2017 को उत्तर भारत के शिक्षक शिक्षा संस्थानों की दिल्ली में एक सम्मेलन भी बुलाया गया था जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला था। सम्मेलन में हुई बातों तथा शिक्षक शिक्षा की भावी योजनाओं को जानकर मुझे भी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का आभास हुआ था परन्तु इस सम्मेलन के बाद इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रचनात्मक गतिविधि देखने को नही मिली। सभी संस्थानों से अपने–अपने आधारिक संरचना तथा मानव संशाधनों के बारे में सम्पूर्ण विवरण भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पोर्टल में अपलोड कराया गया था जिसके आधार पर ही संस्थानों का निरीक्षण होना था। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा बहुत महत्वपूर्ण तथा सार्थक बातों का उल्लेख किया गया इससे यह आभास हुआ कि शायद अब शिक्षक शिक्षा के दिन सुधरने वाले है। शिक्षक शिक्षा के विकास की तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन के सपने तो जरुर दिखाएं गये परन्तु इतना समय बीत जाने के बाद भी मामला जहॉ का तहॉ है। अब तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के चेयरमैन भी बदल गये है। अब मानव संशाधन विकास मंत्री भारत सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को चार वर्ष का करने को प्रस्तावित किया गया। तर्क दिया जा रहा है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आएगी तथा वे ही लोग इन्टर पास करने के बाद इस क्षेत्र में आएंगे जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते है तथा उनमें शिक्षक शिक्षा की वास्तविक कौशलों का विकास कर उन्हें योग्य तथा पेशेवर शिक्षक के रुप में स्थापित किया जा सकेगा लेकिन विडम्बना इस बात की है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मानवीय एवं भौतिक संशाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। योग्य एवं कुशल शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है अर्थात सिस्ट्म पुराना ही है उसमें केवल नया कलेवर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। यह तो ऐसा ही हुआ कि मकान की नींव कमजोर है, दीवारें कमजोर है उस पर चकाचक छत डालने की तैयारी हो रही है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी चकाचक छत किसी काम का नहीं हो सकता है। इस बारे में सर्वप्रथम जब तक शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं का पता लगाकर उनका ठोस निदान करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। शिक्षक शिक्षा राष्ट्र निर्माण तथा व्यक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। गुणवत्तापूर्ण तथा नवाचारी शिक्षक शिक्षा के बिना कोई भी देश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता है। हमारे देश में शिक्षक शिक्षा की चिन्ताजनक स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं तथा सुकन्या समृद्ध योजना जैसे कई शैक्षिक कार्यक्रमों को पलीता लगा रहे है। ये सभी कार्यक्रम तभी सफल हो सकते है जब शिक्षक शिक्षा की रीढ़ मजबूत होगी तथा शिक्षक शिक्षा का संचालन सही ढंग से हो रहा होगा।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण के आधार पर शिक्षक शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता सम्बर्द्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव समीचीन प्रतीत होते है। ये निष्कर्ष एवं सुझाव शिक्षा के योजनाकारों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए शिक्षक शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

1. सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर अद्यतन पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए।
2. सर्वप्रथम सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढ़ॉचे को मजबूत कर उसमें भौतिक तथा मानवीय संशाधनों की

समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. किसी भी शिक्षा में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है इसलिए शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए निरन्तर सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. प्रत्येक शिक्षक संस्थान में योग्य, कुशल एवं निर्धारित योग्यताधारक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जानी चाहिए।

5. शिक्षक शिक्षा के निजी व स्ववित्तपोषित संस्थानों में भी निर्धारित मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जब तक ये इन मानकों की शर्तो को पूरा नहीं करते है तब तक इनको मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए।

6. निजी शिक्षण संस्थानों में नियमानुसार मानकों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को नियमानुसार वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य तथा केन्द्र सरकारों की टीम द्वारा निरन्तर निरीक्षण तथा व्यवस्थाओं की जॉच करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब तथा अन्य आवश्यक संशाधनों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

10. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों में उचित कौशल विकास हेतु सेमिनार, उन्मुखीकरण कार्यक्रम, वर्कशाप, भ्रमण तथा अन्य प्रतियोगिताओं का निरन्तर आयोजन किया जाना चाहिए।

11. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

12. अगर कोई शिक्षक शिक्षा संस्थान सभी मानकों का पूर्ण रुप से पालन नहीं करता है तो उस संस्थान को तत्काल प्रभाव से बन्द करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

13. शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्पूर्ण देश में एक समान होना चाहिए जिससे शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया जा सके।

निश्कर्श– भारत में शिक्षक शिक्षा की स्थिति दयनीय है। शिक्षक शिक्षा का समाज व देश के भविष्य निर्माण तथा प्रत्येक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विशेष जोर देकर गुणवत्ता में इजाफा करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी आवश्यकतानुसार समाज के बदलते स्वरुप के आधार पर परिवर्तित किया जाना चाहिए। केवल शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाना काफी नहीं है इससे बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आज आवश्यकता है शिक्षक शिक्षा के ढॉचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की तथा उसे अद्यतन बनाने की। शिक्षक भावी पीढ़ी के निर्माता होते है यदि शिक्षकों को ही गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पायेगी तथा जब तक वे स्वेच्छा से इस क्षेत्र में नहीं आयेंगे तब तक समाज का कल्याण करना संभव नहीं होगा। आज भारत में इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर उसको प्राप्त करने हेतु ठोस रणनीति, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा ईमानदारी से कार्य करने की। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप को सख्ती से नहीं रोका जाएगा तब तक नीतियों का समान रुप से लागू करना तथा उनका पालन करना संभव नहीं है। शिक्षक शिक्षा के संस्थानों में उपयुक्त भौतिक तथा मानवीय संशाधनों के साथ–साथ उनका निरन्तर निरीक्षण तथा परीक्षण भी किया जाना आवश्यक होगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को राजनीति से ऊपर उठकर इमानदारी से इस क्षेत्र के विकास तथा गुणवत्ता संम्वर्द्धन हेतु ठोस एवं सार्थक पहल कर ही शिक्षक शिक्षा को पटरी पर लाया जा सकता है।

शिक्षक शिक्षा का व्यक्ति, समाज तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर इसे समय व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसका परिमार्जन व नवीनीकरण करने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे बच्चों में शिक्षण दक्षता, विभिन्न व्यावसायिक कौशलों का विकास तथा ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में उपयोग करने की दक्षता का विकास हो सके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा में विनिमय 2014 जो 2015 से प्रभावी हुआ था इसमें भी बच्चों में विभिन्न शिक्षण तथा प्रशिक्षण कौशलों के विकास पर बल दिया गया है। देश में शिक्षक शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा विभाग तथा इससे सम्बन्धित सभी लोगों को इमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्पष्ट है कि शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता, भौतिक एवं मानवीय संशाधनों की कमी, अद्यतन तकनीकी का विकास, शिक्षण दक्षता, विभिन्न व्यावसायिक कौशलों तथा शिक्षण कौशलों का विकास जैसी समस्यायें व्याप्त होती हैं। जब तक शिक्षक शिक्षा में इन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा क्योंकि राष्ट्र के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं शिक्षक शिक्षा संस्थानों के कन्धों पर है। जब तक सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सर्वांगींण विकास नहीं किया जाता तब तक समाज तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ ही होगा।

सन्दर्भ

1. एन. सी. टी. ई. 2009. अध्यापक ि"ाक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2009. एन. सी. टी. ई., नई दिल्ली.
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रि"ाक्षण परिषद्. 2006. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005. एन. सी. टी. ई., नई दिल्ली.
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रि"ाक्षण परिषद्. 2009. राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र– ि"ाक्षक ि"ाक्षा. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रि"ाक्षण परिषद्, नई दिल्ली.
4. भारत का राजपत्र. 2009. निः"ाुल्क और अनिवार्य बाल ि"ाक्षा का अधिकार अधिनियम–2009. संख्या-39. भारत सरकार नई दिल्ली.
5. लाल, रमनबिहारी, और कृष्णकान्त शर्मा. 2009. भारतीय ि"ाक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ. आर0 लाल बुक डिपो मेरठ।